सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी डीपी प्रकरण सं0 01/2018 (RCMS 2018/00025) अनवानी 1. लाली पत्नि बग्गूराम–मृतक 1.1 मखनराम 1.2 लक्षमी देवी उर्फ लच्छो 1.3 रेशमी 1.3 शीलो 1.5 सुन्दो 1.6 चान्दो 1.7 शंकर उर्फ गुलाबिया 2 ममदूराम पुत्र श्रीमती लाली देवी पत्नि बग्गूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर–मृतक 2.1 भागो देवी पत्नि ममदूराम 2.2 सोनू 2.3 मोनू 2.4 बबलू 2.5 सपना 2.6 आशा 2.7 निको पुत्र/पुत्रीयां ममदूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 3 खानाराम –मृतक 3.1 शान्ति देवी पत्नि श्री खानाराम 3.2 कालूराम 3.4 बानिया पिसरान खानाराम पुत्र लाली देवी पत्नि बग्गूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 4 रामचन्द पुत्र लाली देवी (मृतक) 4.1 रेशमी देवी पत्नि रामचन्द्र 4.2 विजय पुत्र रामचन्द पुत्र लाली देवी पत्नि बग्गूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम जलालीया पुत्र रिखिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (मृतक) 1.1 गंगूराम 1.2 लालराम 1.3 बखुराम 1.4 लच्छुराम 1.5 मंगूराम 1.6 रमेश 1.7 कम्मो देवी पुत्र/पुत्रीया जलालियां जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2 कालुराम पुत्र जलालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ 2.1 चूनकी देवी पत्नि कालराम पुत्र जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर 2.2 सुनील 2.3 रीना 2.4 किरण पुत्र/पुत्रीया कालूराम पुत्र जलालिया जाति सांसी साकिन हाल श्रीगंगानगर जरिये माता चूनकी देवी पत्नि कालूराम पुत्र जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर 3 गंगो देवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर –मृतक 3.1 शेरूराम पुत्र गंगो पुत्री जलालिया जाति सांसी निवीस श्रीगंगानगर 3.1.1 गीता पत्नि शेरूराम जाति सांसी निवासी श्रीगंगानगर 3.1.2 किण उम्र 13 वर्ष पुत्री शेरूराम 3.1.3 काजल उम्र 11 वर्ष पुत्री शेरूराम 3.1.4 स्नेह उम्र 9 वर्ष पुत्र स्व. शेरूराम नाबालिगान जरिये कुदरतीवाली माता गीता पत्नि शेरूराम जाति सांसी निवासी श्रीगंगानगर 3.2 सोमू 3.3 राजू पिसरान गंगो पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी श्रीगंगानगर 3.4 भागो देवी 3.5 मीरो देवी 3.6 गोनो देवी पुत्रिया गंगोदेवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर 4 शान्ति देवी पुत्री जलालिया –मृतक 4.1 विक्की 4.2 गीता 4.3 सुनीता 4.4 सीमा 4.5 मंगो पुत्र/पुत्रीयां शान्ति देवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर 5. गंगाराम पुत्री मोजीराम जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर 6. रोशनलाल पुत्र शान्ति पुत्री जलालिया जाति सांसी हाल निवासी श्रीगंगानगर 7. मुकेश पुत्र शान्ति पुत्र जलालिया जाति सांसी हाल निवासी श्रीगंगानगर 8. सुखी पत्नि जलालिया जाति सांसी निवासी जण्डावली–मृतक 9. चिड़ी पुत्री रिखिया जाति सांसी साकिन

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जण्डावाली **(मृतक निसंतान)** 10. **सोनकी** पुत्री रिख्या जाति सांसी साकिन जण्डावाली **(मृतक निसंतान)** 11. **जिला पुर्नवास अधिकारी, हनुमानगढ(एस.डी.एम.)** 12. **सैटलमेन्ट कमीश्नर, श्रीगंगानगर** (ए.डी.एम.), **श्रीगंगानगर**

26.08.2019

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री काशीराम रणवां उपस्थित है। दोनों पक्षकारों की बहस पूर्व में दिनांक 05.08.2019 को सुनी जा चुकी है और उस दिन यह भी आदेश दिया गया था कि पक्षकार यदि लिखित बहस पेश करना चाहे तो दिनांक 14.08.2019 को आदेश से पूर्व पेश कर सकते है। जिस पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.08.2019 को लिखित बहस पेश की गई जो पत्रावली में शामिल है एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस दिनांक 06.08.2019 को पेश की गई, एवं श्री काशीराम रणवां द्वारा प्रार्थीगण की लिखित बहस का जवाब दिनांक 16.08.2019 को पेश किया, जो पत्रावली में पहले से शामिल है।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 22 Displaced Person Compension & Rehabilitation Act 1974 के तहत एक अपील संख्या 19/2013 अनवानी जलालिया वगै बनाम लाली वगैरहा विचाराधीन है, जिसमें प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं अति जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा एक आदेश दिनांक 08.12.2017 को पारित किया गया। जिसके द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी खारिज कर दिया गया। जिसकी अप्रसन्नता से यह निगरानी दिनांक 29.12.2017 को इस न्यायालय में मृतक लाली पत्नी बगुराम के वारिसान मक्खनराम वगैरहा की ओर से प्रस्तुत की गई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दोनों पक्षों के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं मौखिक रूप से दिये गये तर्को मनन किया गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री तेजा सिह का कथन था कि दिनांक 04.11.2017 को उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 धारा 151 सीपीसी का इस आश्य का पेश किया गया कि हस्तगत अपील में रेस्पोडेंट संख्या 5/2 आज से 2 साल पूर्व फौत हो गया है और 90 दिन के अन्दर अपीलांट द्वारा पक्षकारों के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए अपील स्वतः अबैट हो चुकी है, अतः इसी आधार पर अपील खारिज की जावे।

उनका आगे यह कथन था कि रेस्पोडेंट संख्या 5/2 आशा देवी पुत्री गंगो देवी पुत्री जलालिया थी जिसकी मृत्यु 2 साल पूर्व हो चुकी है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अन्तर्गत यदि कोई स्त्री मरती है तो उसका पुत्र, पुत्री व उसका पति एक हिस्से का उतराधिकारी होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तय किया कि आशा देवी के बच्चे नहीं है इसलिए पति, उसका वारिस नहीं है इसलिए आशा देवी का नाम अपील पत्र से डिलीट करने का आदेश दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.12.2017 निरस्त किया जावे और अधीनस्थ न्यायालय में चल रही अपील को अबैट होने के कारण खारिज किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री काशीराम रणवां का कथन था कि आशा पुत्री गंगा देवी की शादी होने के उपरान्त उसके पति का भी स्वर्गवास हो चुका है और उस शादी से आशा को कोई संतान नहीं हुई थी। दौरानें अपील आशा पुत्री गंगो देवी का देहान्त हो गया और देहान्त होने के उपरान्त उसका कोई वारिस नहीं थी, इसलिए किसी व्यक्ति को उसका वारिस

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बनाने का आवेदन पत्र नहीं दिया जाना था और न ही दिया गया। इसलिए अपील अबैट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा अपीलांट/रेस्पोडेंट के आवेदन पत्र का जवाब इस प्रकार से दिया गया था कि आशा देवी के पुत्र पुत्री नहीं थी और उसके पति का भी देहान्त हो चुका है और इसके अतिरिक्त आशा देवी को वादग्रस्त सम्पत्ति आशादेवी के नाना जलालिया की मृत्यु पर आशा देवी की माता को हिस्सा मिला और माता की मृत्यु के बाद उस सम्पत्ति में हिस्सा आशा को मिला, इस प्रकार यह सम्पत्ति आशा को अपनी माता से विरास्तन प्राप्त हुई है, इसलिए हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) के अनुसार इस सम्पत्ति का आशा देवी का पति यदि जीवित भी होता तो भी अधिकारी नहीं हो सकता था, इसलिए आशा देवी के पति का कोई अधिकार न होने से उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता था और आशा देवी का नाम हटाने का निवेदन किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और आशा देवी रेस्पोडेंट संख्या 5/2 के नाम से आगे मृतक शब्द अंकित करने का जो आदेश दिया गया और निगरानीकर्त्ता रेस्पोडेंट का आवेदन पत्र सही रूप से खारिज किया। अतः निगरानी खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया किया यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 08.12.2017 के आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 5/2 की मृत्यु होने पर, उसके पति को बतौर वारिस होने पर उसे अपील में रेस्पोडंट संख्या 5/2 के स्थान पर 90 दिवस में वारिस न बनाये जाने से धारा 22(4) सीपीसी का अबैंटमैट सम्बन्धी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। गैरनिगरानीकर्त्ता के अभिभाषक का तर्क की विवादग्रस्त भूमि आशा देवी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

रेस्पोडेट सख्या 5/2 को उसकी माता की मृत्यु पर उसे प्राप्त हुई थी और उसकी कोई सन्तान नहीं थी और उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अगर उसका पति जीवित भी होता तो उसे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) के तहत आशा देवी का वारिस नहीं माना जा सकता था। इस संदर्भ में मैनें उक्त हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 का अवलोकन किया जो निम्न प्रकार से है :

धारा 15, हिन्दु नारी की दशा में उतराधिकार के साधारण नियम (1) निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी :

(क) प्रथमतः, पुत्रो और पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी है) अैर पति को,

(ख) द्वितीयतः, पति के वारिसों को,

(ग) तृतीयत :, माता और पिता को,

(घ) चतुर्थतः:, पिता के वारिसों को, तथा

(ङ) अन्ततः, माता के वारिसों को।

15(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(क) कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किया पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते है) अभाव में उप–धारा(1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी, तथा

(ख) कोई सम्पत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो तो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री या अपत्य भी आते है) अभाव में उप–धारा(1) में निर्देष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्त्ता रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में गैरनिगरानीकर्त्ता/अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत किये गए जवाब के अनुसार आशा देवी पुत्री गंगो देवी पुत्री जलालिया की कोई संतान नहीं थी और आशा देवी की मृत्यु के पश्चात उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, स्वीकार किया गया है तो क्या ऐसी दशा में आशा देवी के उतराधिकारी को अपील में 90 दिन में वारिस न बनाने पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वतः खारिज हो जाती है? अधीनस्थ न्यायलाय में निगरानीकर्त्ता के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जो जवाब दिनांक 23.11.2017 को पेश किया, उसके साथ शपथ पत्र भी पेश किया है जिसके अनुसार आशा का कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी । इस तथ्य का खण्डन निगरानीकर्त्ता द्वारा किसी शपथ पत्र या अन्य किसी साक्ष्य से खण्डन नहीं किया गया है। जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आशा देवी की कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। जहां तक आशा देवी के पति को बतौर वारिस पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है? इस संदर्भ में लिखित बहस दिनांक 05.08.2019 के पैरा 2 में गैरनिगरानीकर्त्ता/रेस्पोडेंटस को निम्न प्रकार से अंकित किया है :

> यह कि आशा पुत्री गंगा देवी की शादी होने के उपरान्त उसके पति का स्वर्गवास हो गया और शादी से आशा के कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई थी। दोराने अपील आशा पुत्री गंगा देवी का भी देहान्त हो गया और उसके देहान्त होने के उपरान्त उसका कोई वारिस नहीं था, इसलिए किसी व्यक्ति को उसका वारिस बनाने का आवदेन पत्र नहीं दिया जाना था, और न ही दिया गया था।

उक्त जवाब के अनुसार भी आशा देवी संतानहीन थी और उसके पति का भी देहान्त हो चुका था। अगर पति जीवित होता तो क्या उसे आशा देवी के स्थान पर बतौर वारिस पक्षकार बनाया जा सकता था या नहीं? इस संदर्भ में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15(2)क अवलोकनीय है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

15(2)क कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किया पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते है) अभाव में उप–धारा(1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी, तथा

चूंकि जैसा ऊपर विवेचन किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या 5/2 आशा की कोई संतान नहीं थी और उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और यदि पति जीवित भी होता तो भी आशा को विवादग्रस्त सम्पत्ति अपनी माता से प्राप्त होने के कारण पति को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वह प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी नहीं है, इसलिए उसे पक्षकार के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता था। अतः निगरानीकर्त्ता का यह तर्क की आशा के पति को पक्षकार न बनाये जाने के कारण अपील अबैट हो चुकी है, जो हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 15(2)क के उक्त प्रावधानों को देखते हुए, स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय अति जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार जो निर्णय दिनांक 08.12.2017 को पारित किया गया है, वह विधिसम्मत् है और उसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति मय उनके न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 19/2013 भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
प्राधिकृत चीफ़ सैटलमैंट कमीश्नर
एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर